समक्ष पेश कर सकेंगे। आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम पात्र सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को लिखित/कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना भी उपर्युक्त वेबसाइट पर दी जावेगी, पृथक से अन्य कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया –

1. निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक

(अ) प्रथम चरण–लिखित परीक्षा–

सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ संबंधी, समसामयिक इत्यादि विषयों के बहुविकल्पीय 50 प्रश्नों की 100 अंक की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी । प्रत्येक प्रश्न पर 02 अंक निर्धारित होंगें । परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी । लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के छंटनी के लिए होगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जावेगा एवं कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा । लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।

(ब) द्वितीय चरण–कौशल परीक्षा–

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुध्दता से कम्प्यूटर (Ubuntu Linux) सिस्टम में युनिकोड टाईप करना होगा । प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुध्दि के लिए भी होगा । कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी ।

1. यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में बड़े (पहले जन्म लेने वाले) उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि उनकी जन्म तिथि भी समान है, तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी । यदि लिखित परीक्षा में भी समान अंक पाया जाता है तो जिनका स्नातक में अंक अधिक होगा उसको वरीयता दी जाएगी।
2. अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय कवर्धा के वेबसाइट https://kabirdham.dcourts.gov.In / पर अपलोड किया जाएगा ।

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची–

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे वरीयता दी जाएगी। यदि उनकी जन्म तिथि भी समान है, तो उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिनके स्नातक में अंक अधिक होंगे ।

अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।